महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र.: एफ 20(44)ग्रा.वि./नरेगा/पीएफएमएस/2013–14 जयपुर, दिनांक : 12 MAR 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्ग जिलों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों पर बैक खाता रखे जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।**

संदर्भः **भारत सरकार के स्तर पर आयोजित कार्यशाला दिनांक 26.02.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के स्तर पर आयोजित कार्यशाला दिनाक 26.02.2018 में राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खोले गये बैक खातों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये है। इस संबंध में बताया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत खोले गये सभी स्तरों के बैक खातो का पीएफएमएस पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है तथा दिनांक 31.03.2018 को पीएफएमएस पर प्रदर्शित अन्तिम शेष की राशि से आगामी सीए रिपोर्ट में उल्लेखित बैक शेषों का मिलान किया जावेगा। इस संबंध में जिला एवं अधीनस्थ स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया जाता हैं :–

1. **ग्राम पंचायत स्तर पर वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा योजना संबंधित कोई लेन देन नहीं हो रहा है। अतः आगामी 7 दिवस में ग्राम पंचायत स्तर के सभी बैक खातों को बन्द किया जावेगा एवं उक्त बैक खातों में उपलब्ध राशि को पंचायत समिति स्तर के बैक खाते में हस्तान्तरित किया जावेगा।**
2. ग्राम पंचायत स्तर पर योजना से संबंधित यदि कोई टेण्डर फीस, ऑडिट रिकवरी आदि से भविष्य में राशि प्राप्त होती है तो उसे ग्राम पंचायत की रोकडी बही में दर्ज किया जाकर शीघ्रातिशीघ्र पंचायत समिति के बैक खाते में जमा कराया जावेगा तथा पंचायत समिति की रोकड बही में दर्ज किया जावेगा।
3. **सभी जिलों एवं पंचायत समितियों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबंधित केवल एक बैक खाता होगा। जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर उसी बैक में खाता रखा जावेगा जो खाता नरेगा सॉफ्ट पर एनईएफएमएस/ईएफएमएस के लेन–देन के लिए पंजिकृत किया गया है।** यदि किसी जिले एवं पंचायत समिति में एक से अधिक बैक खाते खोले गये है तो इन्हें आगामी 7 दिवस में अनिवार्य रूप से बन्द किया जाकर इसका शेष निर्णित किये गये बैक खाते में हस्तान्तरित किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

4. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर रू. 25,000/– तथा पंचायत समिति स्तर पर रू. 10,000/– रखे जाने के निर्देश दिये गये है। अतः आधिक्य राशि को दिनांक 16.03.2018 तक आवश्यक रूप से राज्य स्तरीय स्टेट बैक **A/c. No. 61050144085, IFSC CODE-SBIN0031031** में **NEFT/RTGS** के माध्यम से जमा कराया जावेगा।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करावे। उपरोक्त कार्यवाही के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को अविलम्ब निर्देश जारी करावे तथा लगातार पर्यवेक्षण किया जाकर दिनांक 10.03.2018 तक उपरोक्त समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराई जावे।

भवदीय,

(राधेश्याम मीना)
वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त।
3. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

Scanned by CamScanner